क्रमांक 18/2/88-2जी. एस. I-88

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

(1) सभी विभागाध्यक्ष,

(2) आयुक्त, हिसार/अम्बाला मण्डल,

(3) सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा तथा

(4) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा, उच्च न्यायालय, चन्डीगढ़ तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा।

दिनांक चण्डीगढ़, 27 जनवरी, 1989।

विषय :—सरकारी कर्मचारियों द्वारा चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति की विवरणी प्रस्तुत करने के बारे में।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली, 1966 के नियम इस सम्बन्ध में जारी की गई हिदायतें क्रमांक 5733 जी. एस. I-77/40529, दिनांक 29-12-77 तथा 18/2/88-2 जी. एस. I-88, दिनांक 20-4-88, की ओर दिलाऊं जिस द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि सरकारी कर्मचारी स्वयं वित्तीय वर्ष के अन्त में अपने देनदारियों और लेनदारियों की एक विवरणी अपने प्राधिकारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फार्म में देगा।

सरकार द्वारा यह देखने में आया है कि उक्त हिदायतों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा। अतः अनुरोध है कि इन हिदायतों को अपने अधीन कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के नोटिस में लाते हुए सम्पत्ति विवरणियां शीघ्र पूर्ण करवायें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में भी यह विवरणियां समय पर प्रस्तुत की जायें।

भवदीय,
हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

1. सभी वित्तायुक्त, हरियाणा तथा
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

हस्ता-/
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा

सेवा में,